

आपने अधिकारों के बारे में आईसीई के साथ जानें।

आईसीई द्वारा गिरफ्तार किए जाने का जोखिम किसे है?

कानून संघीय सरकार को कुछ अप्रवासियों को निर्वासित करने की अनुमति देता है, जिनमें निम्नलिखित अप्रवासी शामिल हैं :

- कोई भी जो वैध आव्रजन स्थिति के बिना हो
- ऐसी स्थिति वाले लोग जैसे कि वैध स्थायी निवासी, षरणार्थी और वीजा धारक) जिन पर कुछ न कुछ आपराधिक दोष हैं



संघीय सरकार आईसीई को यह निर्देश देती है कि गिरफ्तारी के लिए किसे निषाना बनाया जाए। आईसीई के अधिकारी उन लोगों की गिरफ्तारी को प्राथमिकता देने का फैसला करेंगे जिनका वे दावा करते हैं कि :

- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करना
- 1 नवंबर 2020 या इसके बाद गैर कानूनी तरीके से संयुक्त राज्य अमरीका में दाखिल हुए हों, या
- "सार्वजनिक सुरक्षा" के लिए मौजूदा खतरा पैदा करना। आईसीई इन कारकों पर विचार करेगा, जैसे कि :
 - पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति पर मौजूदा आपराधिक मामले या गिरफ्तारी
 - हथियारों या इस से संबंधित कोई भी दोष

इन प्राथमिकताओं को वाइडन प्रवासन के अधीन दो बार बदला गया है और दोबारा भी बदला जा सकता है। चाहे आपको विश्वास हो कि आप इन प्राथमिकताओं में नहीं आते, अगर आप देश निर्वासन के पक्ष से कमजोर हो तो आपको गिरफ्तार करने का फैसला आईसीई द्वारा किया जा सकता है।

वो लोग जिन के पास कानूनी रुतबा है और पुराने दोष उन पर हों।

ध्यान रखें : आप निषाना हो सकते हैं, चाहे:

- आप पर दोष या सजा कई साल पहले के हैं।
- चाहे आपने जेल में समय नहीं गुजारा है।
- आपका अपराध छोटा या मामूली था।
- आप काफी लंबे समय से स्थायी कानूनी निवासी हों, और/या
- आपके परिवार के बाकी सब सदस्य अमरीका के नागरिक हैं।

आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) संघी सरकार एजेंसियों में से एक है जो लागों के निर्वासन देने के लिए जिम्मेवार है। आईसीई अमरीकी होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) का हिस्सा है।

क्या निर्वासन व सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) ऐसे किसी व्यक्ति से सम्पर्क कर सकती है जिसे वे समझते हैं कि वो निर्वासित कर सकते हैं?

आईसीई ऐजेंट आम तौर पर उस अधिकारी की पहचान करते हैं जिस को वह समय से पहले गिरफ्तार करना चाहते हैं। फिर, उस व्यक्ति को दूढ़ने के लिए घरों, कोर्ट रूम, आश्रय घरों और पही तक की काम वाले स्थानों पर भी वो जा सकते हैं। कई बार वो गिरफ्तारी के लिए सड़क पर पर इंतजार / नाकेबंदी कर सकते हैं।

अगर मुझे पता चल जाए कि मैं जोखिम में हूँ तो मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

- अगर आप आईसीई द्वारा गिरफ्तार किसे जाते हो तो आपपी निकटतम सहयोगियों के साथ **एक योजना बनाएँ**।
- **अप्रवासन (इमीग्रेशन) अधिकारियों के सम्पर्क में आने से बचें** – बिना अपने वकील की सलाह के अपनी अप्रवासन (इमीग्रेशन) स्थिति या अपने ग्रीन कार्ड को नवीनीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पत्र न दें और न ही अमरीका से बाहर की यात्रा करें।
- **आपराधिक न्याय प्रणाली (क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के साथ संपर्क में आने से बचें**। पुलिस आने उँगलियों के निषान अप्रवासन विभाग के साथ साझा कर सकती है।

अगर आपके या आपके किसी नजदीकी को निर्वासन का खतरा है तो एक योजना की तैयारी करके रखें।

यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कौन से अधिकार हैं और इनका इस्तेमाल करना कितना उलझन भरा है।



अगर आईसीई ऐजेंट सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर पर मुझ से संपर्क करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए?

जब आईसीई ऐजेंट सड़क सार्वजनिक तौर पर किसी को गिरफ्तार करते हैं (या किसी कार को रोकने के बाद), यह आम तौर पर एकदम होता है। वे आपका नाम ऊँची आवाज़ में पुकार सकते हैं और आपको आपके नाम की पुष्टी के लिए कह सकते हैं और फिर आपको हिरासत में ले सकते हैं।

- अपना नाम और कुछ कहने से पहले, पूछें, **“क्या मैं जाने के लिए स्वतंत्र हूँ?”**
 - **अगर वो हाँ कहते हैं** तो कहें, **“मैं आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहता”** या **“मैं इस समय आपके साथ बात नहीं करूँगा।”** और चले जाएँ।
 - **अगर वो ना कहते हैं** — चुप रहने के अपने अधिकार का प्रयोग करें। कहें, **“मैं आपके प्रश्नों उत्तर न देने और अपने अधिकारों की प्रयोग करना चाहता हूँ।”** और फिर कहें **“मैं किसी वकील से बात करना चाहता हूँ।”**
- अगर वो आपकी जेबों सा सामान की जांच (तालाषी) करनी षरू करते हैं, तो कहें, **“मैं आपको अपनी तालाषी की अनुमति नहीं देता।”**
- **झूठ न बालें और झूठे दस्तावेज़ न दिखायें। भागें नहीं और न ही गिरफ्तारी का विरोध करें।**
- अपनी आप्रवासन स्थिति और आपका जन्म कहां हुआ है, के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न दें। वो आपके द्वारा दी गई किसी भी जानकारी को आपके विरुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी विदेशी दस्तावेज़ जैसे कि पार पत्र (पासपोर्ट), कौंसलर पहचान पत्र, या अपनी अवधि पूर्ण कर चुका वीज़ा उन्हें न दें।
- अगर आप किसी न्यायिक तारीख के लिए आपराधिक न्यायालय में हैं, तो गिरफ्तार किए जाने से पहले अपने वकील कि साथ बात करने कि लिए कहें, इससे पहले कि वो आपको ले जाएँ।

यदि अधिकारी में घर पर आ जाते हैं, तो क्या मुझे पता लगेगा कि वो आईसीई से हैं?

हमेशा नहीं! सावधान रहें : आईसीई ऐजेंट आमतौर पर पुलिस के भेष में आते है और आपके साथ आपकी पहचान की चारी या चल रही जांच के बारे में बातें करने की बात कहते हैं।

क्या आईसीई के ऐजेंट मेरी गिरफ्तारी के लिए मेरे घर में प्रवेश कर सकते हैं?

यदि ऐजेंटों के पास जज द्वारा हस्ताक्षर किए वारंट नहीं हैं, तो वो किसी भी व्यस्क (बालिग) व्यक्ति के घर उसकी आज्ञा के बिना घर में प्रवेश नहीं की कहते हैं। दरवाज़ा पर दस्तक करना उनको आपके घर में दाखिल होने की आज्ञा नहीं देता है।



यदि अधिकारी मेरे घर के दरवाजे पर हैं तो मैं क्या करूँ?

- यह पता करें कि वो डीएचएस से हैं सा आईसीई से।
- शांत रहने की कोषिष करें। निम्रता बनाये रखें। झूठ न बोलें। कहें, **“मैं इस समय आपके साथ बात नहीं करना चाहता।”**
- निम्रता से उनको जज द्वारा हस्ताक्षर किए वारंट को देखने के लिए दरवाज़े कि नीचे से खिसकाने कि लिए कहें। अगर उनके पर कुछ ऐसा नहीं है तो उन्हें उन्हें भीतर प्रवेश करवाने से इनकार करें।
- यदि वो किसी और को ढूढ रहे हैं, तो **उन्हें अपनी संपर्क जानकारी देने के लिए कहें**। आपको उनको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति को कहां ढूढना है और आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए।

यदि आईसीई गिरफ्तारी कि लिए मेरे घर के अन्दर है तो मैं क्या कर सकता / सकती हूँ?

- उन्हें बतायें यदि घर में कोई बच्चा या कमज़ार परिवारिक सदस्य है।
- अगर उनके पास जज द्वारा हस्ताक्षरित किए वारंट ना हों तो उन्हें घर से बाहर जाने कि लिए कहें।
- यदि वो आपकी आज्ञा के बिना न्दर आये हैं, तो उन्हें कहें, **“मैं अपने घर में आपकी उपस्थिति से सहमत नहीं हूँ। कृपा करके यहां से जाएँ।”**
- यदि वे आपके घर के कमरों व चीज़ों की तालाषी लेना षरू करते हैं तो उनको कहें, **“मैं आपके द्वारा ली जा रही तालाषी से सहमत नहीं हूँ।”**
- अगर आईसीई अधिकारी आपके गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उनको बताएं कि आपको सेहत से संबंधित समस्याएं हैं या आपको अपने बच्चों की देखभाल के लिए प्रबंध की आवश्यकता है।

यदि मुझे आईसीई द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है तो मेरे अधिकार क्या हैं?

- आपको **चुप रहना** होगा। आपक वकील के साथ बात करने का अधिकार है।
- **झूठ न बोलें**। इससे भविश्य में आपको नुकसान पहंच सकता है।
- आपको इस बारे में **काई भी जानकारी साझा करने की आवश्यकता नहीं है** कि आपका जन्म कहां हुआ था, आपकी अप्रवासन स्थिति क्या है, और आपक काई आपराधिक रिकॉर्ड। प्रश्नों के उत्तर देने की बजाए उनको किसी वकील के साथ बात करने के लिए कहें।
- आपको अपने **दस्तावेज़ या पासपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं ह**। जब तक कि उनके पास जज द्वारा हस्ताक्षरित किया कोई वारंट ना हो।
- आपको किसी भी **दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने कि आवश्यकता नहीं है**।